प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिन्कर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्र. 915/1996

अपीलार्थिगण हीरासाय (मृतक) एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए– दिनांक 27.9.2012

सही/–
(प्रितिन्कर दिवाकर)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिन्कर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्र. 915/1996

अपीलार्थिगण हीरासाय (मृतक) एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

श्री शर्मिला सिंघाई अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री विवेक शर्मा, पैनल अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/राज्य।

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

निर्णय

(27.09.2012)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 482/1991 में दिनांक 15.5.1996 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थिगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-II, 325/34 तथा 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए धारा 304-II के अंतर्गत प्रत्येक को चार वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 325/34 के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000/- के जुर्माने से दंडित किया गया तथा धारा 323/34 के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास दिया गया, साथ ही जुर्माना न देने की दशा में निर्धारित दंडादेश भी अधिरोपित किए गए।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 22.8.1991 को प्रातः लगभग 10 बजे, घायल अमृतलाल (अ.सा.-6) द्वारा प्राथमिकी प्रदर्श पी-25 दर्ज कराई गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उसी दिन प्रातः लगभग 7 बजे मृतक/अभियुक्त पंचराम द्वारा खेत में पानी के प्रवाह को अवरुद्ध किए जाने के कारण उसके घर में पानी का रिसाव हो गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। उक्त विवाद के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने यह कहते हुए उकसाया कि पीड़ितगण सदैव उपद्रव करते रहते हैं, अतः उन पर हमला किया जाए। मृतक/अभियुक्त हीरासाय तथा अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने डंडे से उस पर प्रहार किया, जिससे उसके दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई; मृतक/अभियुक्त पंचराम ने उसकी पीठ पर चोट पहुंचाई; उसकी माता सोनकुंवर (अ.सा.-7) पर मृतक/अभियुक्त अर्जुन एवं पंचराम द्वारा हमला किया गया; जबकि मृतक, जो उसके पिता है, पर सभी अभियुक्तों द्वारा डंडे, हाथ एवं मुक्कों से यह कहते हुए प्रहार किया गया कि वे उसे मार डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर में सूजन आ गई तथा उसके मुंह से रक्तस्राव होने लगा। यह आरोप है कि उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्रवण

(अ.सा.-8) एवं शिवचरण (अ.सा.-9) थे। इस प्राथमिकी के आधार पर मृतक/अभियुक्त हीरासाय, पंचराम, अर्जुन एवं वर्तमान अपीलार्थी बिसाहू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 323, 506-ख एवं 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए गए। घायल अमृतलाल (अ.सा.-6), सोनकुंवर (अ.सा.-7) तथा मृतक जगतराम का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. पी. महाजन द्वारा दिनांक 22.8.1991 को क्रमशः प्रदर्श पी-16, पी-17 एवं पी-18 के अंतर्गत किया गया। मृतक जगतराम की मृत्यु के पश्चात दिनांक 23.8.1991 को डॉ. एच.के. दुआ (अ.सा.-14) द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिनके अनुसार मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव एवं आघात (हेमरेज एवं शॉक) था। प्रदर्श पी-13 के अंतर्गत डॉ. सी.एस. शर्मा (अ.सा.-5) द्वारा अमृतलाल (अ.सा.-6) का एक्स-रे किया गया, जिसके अनुसार उसके मेटाकार्पल अस्थि में फ्रैक्चर पाया गया। अन्वेषण उपरांत दिनांक 20.9.1991 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 325, 294, 323, 506-ख एवं 34 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तथापि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धाराओं 302, 323 एवं 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

3. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में 14 गवाहों का परीक्षण कराया है। अभियुक्तों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक् किया। अभियुक्त अर्जुन की विचारण की लंबित रहने के दौरान ही मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार अभियुक्तों/अपीलार्थीओं को दोषसिद्ध कर दण्डित किया। इस अपील की लंबित रहने के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी हीरासाय एवं पंचराम की भी मृत्यु हो गई, जिसकी पुष्टि राज्य पक्ष के अधिवक्ता द्वारा भी की गई है। अतः वर्तमान में यह अपील केवल अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू के संबंध में ही शेष रह गई है।

5. एकमात्र जीवित अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोप विरचित करने के समय भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत आरोप नहीं जोड़ा गया था, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू को उक्त धारा की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। शवपरीक्षण प्रतिवेदन **Ex.P**-29 तथा एमएलसी प्रदर्श पी-18 के अनुसार मृतक के सिर पर केवल एक ही चोट पाई गई है, किंतु ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त चोट किस अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई थी। अमृतलाल (अ.सा.-6) एवं सोनकुंवर (अ.सा.-7) के कथनों का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तव में अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने सोनकुंवर (अ.सा.-7) को चोट पहुंचाई थी, जबकि

मृतक जगतराम को लगी चोट मृत/अभियुक्त अर्जुन द्वारा पहुंचाई गई थी। उनका यह भी कहना है कि साक्षियों के समस्त साक्ष्य को अक्षरशः स्वीकार करने पर भी अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 34 ब.द.स की सहायता से धारा 304-II ब.द.स के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्तों की ओर से मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई सामान्य आशय था, तथा चूंकि घटना अचानक घटी थी, इसलिए उनके विरुद्ध अधिकतम यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे केवल दूसरे पक्ष को कुछ चोट पहुंचाने का आशय रखते थे। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक जगतराम की मृत्यु के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और अधिक से अधिक उसे धारा 325 ब.द.स के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है। आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी में वर्णित कथा तथा न्यायालय में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा कथित कहानी में पूर्णतः अंतर है, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्राथमिकी की प्रति मजिस्ट्रेट को प्रेषित नहीं की गई तथा जांच अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण संपूर्ण विचारण दूषित हो गया है। अपने तर्कों के समर्थन में अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया— **पुरुषोत्तम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1980 एससी 1873; भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 421; मुक्ति प्रसाद राय उर्फ मुक्ति राय और अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड), (2004) 13 एससीसी 144; नागराजा बनाम कर्नाटक राज्य, (2008) 17 एससीसी 277; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम नजर सिंह और अन्य, (2009) 12 एससीसी 89; तथा बेलाची (मृत) विधिक वारिसानों द्वारा बनाम पकीरन, (2009) 12 एससीसी 95।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, प्रार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता **impugned** (विवादित) निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि भले ही अन्य अपराधों के साथ धारा 34 का आरोप पृथक रूप से जोड़ा न गया हो, तथापि साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्ध ठहराया जाना पूर्णतः न्यायोचित है। उनका यह भी कहना है कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ही इस घटना का मुख्य कर्ता है, क्योंकि उसी ने अन्य व्यक्तियों को दूसरी पार्टी को मार डालने के लिए उकसाया था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अमृतलाल (अ.सा.-6) तथा सोनकुंवर (अ.सा.-7) ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर मृतक जगतराम पर हमला किया था। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि स्वतंत्र साक्षी शिवचरण (अ.सा.-9) ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन किया है तथा यह बताया है कि किस प्रकार सभी अभियुक्तों ने मृतक एवं अन्य पीड़ितों पर हमला किया। इसके अतिरिक्त, राज्य के अधिवक्ता का

कहना है कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू के मेमोरेंडम के आधार पर उससे एक डंडा जब्त किया गया, तथा उक्त मेमोरेंडम एवं जब्ती को चंद राम (अ.सा.-2) द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है। राज्य के अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूँकि पीड़ित अमृतलाल (अ.सा.-6) के मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर आया था, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना पूर्णतः उचित है। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अन्य व्यक्तियों को चोट पहुँचाने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना भी न्यायोचित है।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. रेशम लाल (अ.सा.-1), जो कि मर्ग पंचनामा प्रदर्श पी-1 के साक्षी हैं, ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किया है। चंद्र राम (अ.सा.-2) जब्ती एवं मेमोरण्डम के साक्षी हैं, जो प्रदर्श पी -2 से पी-10 तक हैं, और उन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। उनके अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू का मेमोरण्डम प्रदर्श पी-4 है तथा उसी के आधार पर डंडा (क्लब) प्रदर्श पी-5 के तहत जब्त किया गया। कनहैया (अ.सा.-3) वार्ड बॉय है, जिसने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। प्रह्लाद तिवारी (अ.सा.-4) वह साक्षी है जिसने मर्ग पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया तथा मृतक के शव को शवपरीक्षण परीक्षण हेतु भेजा। डॉ. सी.एस. शर्मा (अ.सा.-5) रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने घायल अमृतलाल (अ.सा.-6) का एक्स-रे प्रदर्श पी-13 के तहत किया और यह बताया कि उसके मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर था। अमृतलाल (अ.सा.-6) ने बयान दिया है कि वह अभियुक्तगण को जानता था और घटना के दिन नर्मदा प्रसाद तालाब से पानी लेने गया था, जहाँ मृतक/अभियुक्त पंचराम ने उसे पानी लेने से मना किया। उसके पिता जगतराम (मृतक) ने पंचराम से कहा कि नर्मदा प्रसाद को पानी लेने दिया जाए। इसी दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने आपत्ति की और कहा कि वह नर्मदा प्रसाद का पक्ष क्यों ले रहा है, जो कि मृतक जगतराम के साले का पुत्र है। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने अन्य अभियुक्तों—पंचराम, हिरासाई एवं अर्जुन—से कहा कि मृतक अपने साले का पक्ष ले रहा है, इसलिए उसे पीटा जाए। अमृतलाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उसके पिता जगतराम को छोड़ा जाए, परंतु अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। सभी अभियुक्तों ने उसके पिता के साथ मारपीट की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इस घटना को सोनकुंवर (अ.सा.-7), शिवचरण (अ.सा.-9), बलराम, नर्मदा प्रसाद, राजा (अ.सा.-11) तथा शिव दयाल ने देखा। इसके पश्चात वह थाना अकलतरा गया, जहाँ शिकायत दर्ज कराई गई; उस समय उसके पिता जगतराम बेहोश थे। जब उसके पिता को बिलासपुर ले जाया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया, तब तक वहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक के शव का शवपरीक्षण परीक्षण बिलासपुर में किया गया तथा उसकी चोट के संबंध में एक्स-रे कराया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा कि उसके घर और मृतक/अभियुक्त हिरासाई के घर के बीच कुछ खुली भूमि थी और उनके बीच पूर्व में कोई शत्रुता नहीं थी। उसके अनुसार, घटना से पूर्व अभियुक्तगण और उसके पिता के बीच किसी विवाद के कारण कोई संबंध नहीं थे, क्योंकि एक बार उसकी बहन को मृतक/अभियुक्त पंचराम ने मारा था। उसने यह भी कहा कि घटना के समय अभियुक्तगण अपने खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। शिव दयाल एवं शिवचरण (अ.सा.-9) के अनुसार, इस साक्षी ने पूरी घटना देखी थी और शिकायत दर्ज कराते समय उसने बलराम, नर्मदा प्रसाद एवं शिव दयाल के नाम बताए थे, किंतु यदि वे नाम उसमें अंकित नहीं हैं तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा डंडे से कितने वार किए गए थे। उसने बताया कि चारों अभियुक्तों ने उसे तथा उसके पिता को मारा था और उस समय मृतक/अभियुक्त अर्जुन ने उसे पकड़ रखा था। उसके अनुसार अभियुक्त बिसाहू ने उसकी दाहिनी हथेली पर चोट पहुंचाई और उसे लगभग 10 बार मारा गया। उसने यह भी कहा कि उसके पिता को हाथ-मुक्कों से नहीं मारा गया था और उसने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी। सोनकुंवर (अ.सा.-7) ने कहा कि वह अभियुक्त/अपीलार्थीओं को जानती थी तथा घटना के दिन उसका भतीजा नर्मदा, जो तालाब से पानी लेने गया था, मृतक/अभियुक्त पंचराम द्वारा पीटा गया। उक्त पंचराम द्वारा उसकी बाल्टी भी छीन ली गई थी। उसके पति जगतराम को अभियुक्तों द्वारा मारा गया तथा मृतक/अभियुक्त अर्जुन के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिससे उसने कुल्हाड़ी के कुंदे भाग से वार किया, जबकि अन्य अभियुक्तों ने डंडों से मारपीट की। वह अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी और हस्तक्षेप करते समय अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने उसे भी मारा। उसकी चीख-पुकार सुनकर अभियुक्त वहां से चले गए और अपने-अपने घरों में चले गए। इस साक्षी ने बताया कि मृतक जगतराम को पहले थाना ले जाया गया और फिर बिलासपुर ले जाया गया तथा उसके मुंह से खून निकल रहा था। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि जब उसका बयान दर्ज किया गया था, तब उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी बिसाहू ने उसे मारा था, और यदि यह बात उसमें दर्ज नहीं है तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। कंडिका-3 में उसने कहा कि अभियुक्तों ने उसके पति को लगभग 15 मिनट तक मारा। श्रवण कुमार (अ.सा.-8) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। शिवचरण (अ.सा.-9), जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, ने कहा कि मृतक जगतराम को सभी अभियुक्तों ने डंडों से मारा। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो मृतक जमीन पर पड़ा हुआ था और उस समय मृतक/अभियुक्त अर्जुन के हाथ में कुल्हाड़ी थी तथा अन्य अभियुक्तों के हाथों में डंडे थे। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण एवं मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। डॉ. पी. महाजन (अ.सा.-10) वह साक्षी हैं जिन्होंने अमृतलाल (अ.सा.-6) का चिकित्सकीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षण प्रदर्श पी-17 के अंतर्गत, सोनकुंवर (अ.सा.-7) का अ.सा.-16 के अंतर्गत तथा मृतक जगतराम का प्रदर्श पी-18 के अंतर्गत परीक्षण किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

मृतक जगतराम :-

मरीज अर्धचेतन अवस्था में था। उसकी दोनों नासिकाओं से रक्तस्राव हो रहा था तथा टेम्पोरल (कनपटी) क्षेत्र में रक्त जम गया था। उसे बिलासपुर रेफर किया गया।

अमृतलाल (अ.सा.-6) :-

दाहिने हाथ की ऊपरी सतह पर सूजन एवं कोमलता (दर्द) थी तथा दाहिने सुप्रास्कैपुलर क्षेत्र में 10×2 सेमी के नील (चोट के निशान) पाए गए।

सोनकुंवर (अ.सा.-7) :-

बाएँ कंधे के जोड़ के पीछे की ओर 3×2 सेमी का कंट्यूजन (नील) पाया गया।

राजाराम (अ.सा.-11) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया तथा उसे शत्रुतापूर्ण (होस्टाइल) घोषित किया गया। छोटेलाल (अ.सा.-12) पटवारी हैं, जिन्होंने स्थल मानचित्र (स्पॉट मैप) प्रदर्श पी-24 तैयार किया। पुनाराम (अ.सा.-13) वह साक्षी हैं, जिन्होंने एफआईआर प्रदर्श पी-25 दर्ज की तथा घायलों को प्रदर्श पी-26 से पी-28 के माध्यम से अस्पताल भेजा। डॉ. एच.के. दुआ (अ.सा.-14) वह साक्षी हैं, जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण प्रदर्श पी-29 के अनुसार किया तथा दाहिने पार्श्विका क्षेत्र की फ्रंटल हड्डी में धँसा हुआ खोपड़ी फ्रैक्चर पाया। मृत्यु का कारण शॉक एवं अत्यधिक रक्तस्राव पाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि मृतक जगतराम को घातक चोट किस व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई थी। सोंकुनवर (अ.सा.-7) के अनुसार, मृतक/आरोपी अर्जुन ने कुल्हाड़ी के कुंदे भाग से मृतक को चोट पहुँचाई, जबकि अन्य व्यक्तियों ने लाठी से उस पर हमला किया। वहीं, अमृतलाल (अ.सा.-6) एवं शिवचरण (अ.सा.-9) ने अपने न्यायालयीन कथनों में कहा है कि सभी आरोपियों ने मृतक पर हमला किया था, जबकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मृतक को केवल एक ही चोट आई थी। एक बार जब अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 304-II भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस स्पष्ट निष्कर्ष के साथ दोषसिद्ध किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी की मृतक की हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी, तो उसे धारा 34 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि यह घटना पानी के विवाद को

लेकर घटित हुई थी और आरोपियों की मंशा केवल मृतक जगतराम, अमृतलाल (अ.सा.-6) तथा सोंकुनवर (अ.सा.-7) के साथ मारपीट करने की प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त/अपीलार्थी की धारा 304-II भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और अधिकतम उसका कृत्य धारा 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है। तदनुसार आदेश पारित।

जहाँ तक अमृतलाल (अ.सा.-6) को चोट पहुँचाने के लिए धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता तथा सोंकुनवर (अ.सा.-7) को चोट पहुँचाने के लिए धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई उसकी दोषसिद्धि का प्रश्न है, वह यथावत् बनाए रखी जाती है।

10. दंड के संबंध में, अभियुक्त/अपीलार्थी की आयु अब लगभग 75 वर्ष हो चुकी प्रतीत होती है; यह कि घटना किसी जल विवाद के कारण घटित हुई प्रतीत होती है; यह कि अपीलार्थी वर्ष 1991 से दाण्डिक प्रकरण का सामना कर रहा है; तथा यह कि वह पहले ही लगभग एक वर्ष तीन माह की अवधि तक कारावास भोग चुका है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस मत पर है कि न्याय के व्यापक हित में यह उचित होगा कि उस पर अधिरोपित दंड को घटाकर उतनी ही अवधि तक सीमित कर दिया जाए जितनी अवधि वह पहले ही कारावास में व्यतीत कर चुका है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अपील का शुद्ध परिणाम यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 304-II के अंतर्गत न होकर धारा 325 के अंतर्गत होगी, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक जगतराम पर किए गए हमले के संबंध में प्रदान किया गया था। तथापि, अमृतलाल (अ.सा.-6) एवं सोनकुंवर (अ.सा.-7) पर किए गए हमले के संबंध में धारा 325/34 तथा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि यथावत रहेगी। उपर्युक्त कारणों से अभियुक्त/अपीलार्थी पर अधिरोपित दंड को घटाकर उतनी ही अवधि तक सीमित किया जाता है जितनी अवधि वह पहले ही भुगत चुका है। तथापि, इसके एवज में यह न्यायालय उचित समझता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाए कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ₹10,000/- जमा करे, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत मृतक की पत्नी सोनकुंवर (अ.सा.-7) को प्रतिकर के रूप में देय होगा। यदि अभियुक्त/अपीलार्थी उक्त राशि छह माह की अवधि के भीतर जमा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अवधि के लिए कारावास में रहना होगा।

12. इस प्रकार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सही/–
(प्रितिन्कर दिवाकर)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ......Shreyas Nayak (Advocate)...........

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur